

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

सं०सं०-2/एल०-202/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कुमारी राखी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नासरीगंज, रोहतास द्वारा दिनांक-01.06.2026 से 30.11.2026 तक द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-01.06.2026 से 27.11.2026 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों को मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-28.11.2026 से 30.11.2026 तक - कुल-03 (तीन) दिनों को असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-202/2022- 1784(2) पटना, दिनांक 27/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नासरीगंज, रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/डा० कुमारी राखी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नासरीगंज, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/7/2026

सरकार के अवर सचिव।